कार्यालय अति0प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान,जयपुर ।

क्रमांकःएफ3(33)तक–II / मुवजीप्र / 2009 / 10624 दिनाकं 16-12-2013

निमित्त्

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
राजस्थान,जयपुर ।

विषयः– बाघ परियोजना,सरिस्का में स्थित जलाशयों,नदियों,तालाबों में मत्स्य आखेट का ठेके नही देने के क्रम में ।

महोदय,

विषयान्तर्गत दिनांक 17.5.2013 को माननीय वन मंत्री महोदया की अध्यक्षता में आयोजित राज्य वन्यजीव मण्डल की स्थाई समिति की बैठक में बाघ परियोजना,सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट क्षैत्र में स्थित तीन प्रमुख जलाशयों मंगलसर (तहसील राजगढ़), मानसरोवर(तहसील राजगढ़),सिलीसेढ़(तहसील अलवर) मे मछली के ठेको पर रोक लगाये जाने का निर्णय लिया है । कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है ।

उल्लेखनीय है कि वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम्–1972 की धारा–29 अन्तर्गत वन्यजीव अभयारण्यों में व्यवसायिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध है । अभयारण्यों में वन्यजीव आवास (वाईल्डलाईफ हेबीटॉट) में छेड़छाड़ करना,बदलाव करना, नष्ट करना अथवा नुकसान करना एवं मत्स्य आखेट करना शिकार (हंटिग) की परिभाषा में आता है एवं ऐसी गतिविधिया पूर्णतया प्रतिबन्धित है ।

अतः वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के प्रावधान एवं उक्त निर्णयनुसार बाघ परियोजना, सरिस्का में स्थित उक्त जलाशयों में दिये जा रहे है मत्स्य आखेट के ठेको को निरस्त करावें तथा भविष्य में उक्त जलाशयों में मत्स्य आखेट के ठेके नही दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(पी.एस.सोमशेखर) 13/12
अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान,जयपुर ।

क्रमांकःएफ3(33)तक–II / मुवजीप्र / 2009 / 10625-27 दिनाकं 16-12-2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. अतिरिक्त शासन सचिव,वन विभाग,राजस्थान सरकार,सचिवालय,जयपुर ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,सरिस्का बाघ परियोजना,अलवर ।
3. उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक,सरिस्का बाघ परियोजना,सरिस्का ।

(पी.एस.सोमशेखर) 13/12
मुख्य वन संरक्षक,वन्यजीव,
जयपुर ।